विवरण 2ख

सं. अ. 2024-25 और ब.अ. 2025-26 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2025-26 के व्यय के बजट अनुमान में ₹3,48,858 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी गयी है। व्यय की मुख्य मदें, जिनमें भिन्नता आई है, को नीचे दर्शाया गया हैः-

(₹ करोड़ में)

		सं.अ. 2024-2025	ब.अ. 2025-2026	अन्तर कमी (-)/ वृद्धि (+)	
1	ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1137940	1276338	(+)	138398
2	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44142	143795	(+)	99653
3	रक्षा सेवाएं (पूंजीगत परिव्यय सहित)	456722	491732	(+)	35010
4	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	9815	42410	(+)	32595
5	राज्यों सरकारों को ऋण और अग्रिम	139378	170598	(+)	31220
6	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ऋण	1	20001	(+)	20000
7	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	18480	32496	(+)	14016
8	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	6695	17181	(+)	10486
9	अन्य संचार सेवाओं के संबंध में पूंजी परिव्यय	72028	33757	(-)	38271
10	विविध सामान्य सेवाएं	14084	0	(-)	14084
11	अन्य व्यय	2817202	2837037	(+)	19835
	कुल व्यय	**4716487**	**5065345**	(+)	**348858**

निम्नलिखित के कारण

1 बाजार ऋणों, राजकोषीय बिलों, बाहरी ऋणों. छोटी बचतों और भविष्य निधियों पर ब्याज अदायगी में वृद्धि।

2 जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए आवंटन। यह प्रावधान 'विकास केन्द्र के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' जैसी नई पहलों के कार्यान्वयन के लिए भी है।

3 पूंजीगत व्यय सहित सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं में वृद्धि।

4 वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु आवश्यकताओं और संसदीय प्रक्रियाओं के आधार पर उनके लंबित मूल्यांकन/अनुमोदन और पुनर्आवंटन के संबंध में नई बजट घोषणाओं हेतु प्रावधान।

5 पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि।

6 अनुसंधान और नवाचार के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण हेतु प्रावधान।

7 रोजगार सृजन योजना और हब एवं स्पोक व्यवस्थाओं में 1000 आईटीआई के उन्नयन के लिए प्रावधान में वृद्धि।

8 पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अतिरिक्त प्रावधान।

9 बीएसएनएल में पूंजी निक्षेप संबंधी आवश्यकताओं में कमी।

10 गारंटी मोचन निधि में अंतरण संबंधी आवश्यकताओं में कमी।